भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

I.C.A.R. - CENTRAL INSTITUTE FOR ARID HORTICULTURE

Beechwal, Bikaner (Rajasthan) - 334006

बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - ३३४००६

Website:-icar-ciah.org

प.क्र.:07(ii)10/CS/Auction of Farm Produce/2025-26 -4945 दिनांक:12.11.2025

संस्थान के आंवला Fruit based cropping system प्रखण्ड में 70 आंवला के कलमी पौधों पर लगे अनुमानित 30 किलो प्रति पौधा आंवला फलों की खुली नीलामी संस्थान के प्रक्षेत्र कार्यालय में दिनांक 25.11.2025 को सुबह 11.30 बजे आयोजित की जावेगी।

नियम व शर्तेः

1. आंवला फलों की तुड़ाई संस्थान कार्य दिवस में **सुबह 9 बजे से शाम 5 (शनिवार, रविवार एवं राजकीय अवकाश को छोड़कर) बजे** तक की जा सकती है एंव संबंधित तकनीकी अधिकारी/फार्म प्रभारी से गेट पास प्राप्त कर फलो की निकासी की जा सकती है।
2. सफल बोलीदाता को लेबर एबोलेशन एक्ट की पालना करनी होगी।
3. कार्य निष्पादन के दौरान संस्थान की सम्पती या फलोंद्यानों की किसी भी तरह का नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई अनुबंधक (ठेकेदार) से की जावेगी।
4. आंवला के 70 वृक्षों (आंवला आधारित फसल प्रणाली) से प्राप्त फलों की तुड़ाई जिसकी नीलामी की जानी है, इस बाबत किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु संस्थान के प्रभारी फार्म/प्रभारी प्रखण्ड से संपर्क किया जा सकता है।
5. नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को बयाना राशि के रुप में **₹ 2000/- (₹ रुपये दो हजार मात्र)** जमा कराने होगें।
6. **जिस व्यकित के नाम से बोली स्वीकृत होगी, उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का 50% (पचास प्रतिशत) मौके पर ही जमा कराना होगा। शेष राशि संस्थान के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के तीन दिन के अंदर जमा करानी होगी। तत्पश्चात ही सफल बोलीदाता को तुडाई कार्य प्रारंभ करने का अनुबंध (नोन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार करने पर कार्यादेश जारी किया** जायेगा। उसके उपरान्त ही अनुबंधक (ठेकेदार) फल तुड़ाई का कार्य शुरु कर सकता है।
7. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की सम्पूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गयी बयाना राशि एवं बोली की 50% (पचास प्रतिशत) राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही उसके पक्ष में स्वीकृत बोली को रद्द कर दिया जायेगा।
8. अनुबंधक (ठेकेदार) को यह सुनिश्चित करना होगा कि फलों की तुडाई के दौरान आंवला के वृक्षों के बगीचे या उसके आस-पास आग जलाना प्रतिबंधित है। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
9. संस्थान से अधिकार पत्र (अनुबंध) मिलने के पश्चात उत्पादित आंवला पौधों के फलों के 70 पौधों में लगे फलो की तुडाई का कार्य 31 दिसम्बर 2025 तक पूर्ण कर लेना होगा। तत्पश्चात अनुबंधक (ठेकेदार) का कोई हक आंवला के फलों पर नही रहेगा। इस अवधि में आंवला फलों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अनुबंधक (ठेकेदार) का ही होगा।
10. बोली की राशि पर लगने वाले किसी प्रकार के स्थानीय करों इत्यादि के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधक (ठेकेदार) की ही होगी एवं संस्थान किसी प्रकार से उत्तरदायी नही होगा।
11. संस्थान में कार्यरत बन्दी श्रमिकों को आंवला फलों के तुडाई के लिये नही लगाना होगा। अन्यथा ठेका (अनुबंध) तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
12. आंवला फलों की तुडाई, भण्डारण, रख-रखाव, परिवहन एवं अन्य किसी भी संबंधित कार्य हेतु संस्थान किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नही करायेगा।

13. किसी भी प्राकृतिक आपदा (वर्षा, आंधी-तूफान,पाला/सर्दी, पशु एवं अन्य किसी भी प्रकार से नुकसान इत्यादि) एवं अन्य किसी भी कारण से आंवला फलों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संस्थान की नही होगी।

14. अनुबंधक (सफल बोलीदाता/ठेकेदार) की बयाना राशि (Earnest Money) का पुर्नभुगतान (Refund) तुडाई का कार्य पुर्ण होने के पश्चात एवं प्रभारी फार्म द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) जारी करने पर ही किया जायेगा। इस हेतु ठेकेदार(अनुबंधक) को संस्थान द्वारा जारी मूल रसीद (TR-5) को आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

15. अधिकतम बोलीदाता के हक में बोली छोडने या न छोडने का अधिकार संस्थान के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय ही अंतिम होगा।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :

1. सूचना पट्ट - कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
2. सूचना पट्ट - प्रक्षेत्र कार्यालय भवन, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
3. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बोक्स सं.07 जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
4. सूचना पट्ट - केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरु क्षेत्रीय परिसर, बीछ्वाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर।
5. सूचना पट्ट - राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र,, पोस्ट बोक्स सं.08, जोडबीड, शीवबाडी, बीकानेर।
6. सूचना पट्ट - केन्द्रीय रुक्ष क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलानगर, बीकानेर।
7. सूचना पट्ट - स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविधालय, बीछ्वाल, बीकानेर।
8. सूचना पट्ट - राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविधालय, विजय भवन पैलेस परिसर, पशु चिकित्सा विश्वविधालय रोड, दीन दयाल उपाध्याय सर्किल के नजदीक, बीकानेर - 334001।
9. प्रभारी फार्म - भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रभारी, ए.के.एम.यु., भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर को संक्षिप्त निविदा सूचना नियम/शर्ते सहित संस्थान की वैब साईट पर अपलोड कर सूचित करें।
11. प्रभारी सुरक्षा, भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर ।
12. व्यैक्तिक सहायक (निदेशक), भाकृअनुप-केशुबासं, बीकानेर।
13. Guard File.